

॥ यू0ओ0नोट ॥

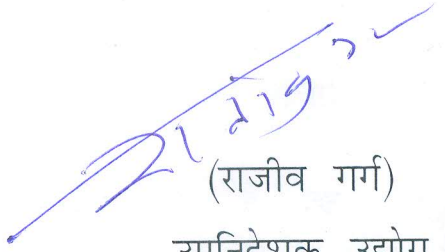
विषय:-उद्योगशाखा के परिपत्र विभागीय बेबसाईट पर प्रदर्शित करने बाबत।

प्रसंग:-श्रीमान अति.महानिदेशक कारागार के निर्देशानुसार

--0000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान के निर्देशानुसार उद्योगशाखा द्वारा जारी निम्न परिपत्र एवं आदेश विभागीय बेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु संलग्न कर प्रेषित किय जा रहे है।

- 1.राज्य सरकार की अधिसूचना प.1(ग)(13)गृह-2/2003जयपुर दिनांक 15.9.2011
- 2.मुख्यालय के आदेश उद्योग/16/ब.श्र.नि./2011/40590-600दिनांक 12.01.2018
3. मुख्यालय के आदेश उद्योग/16/ब.श्र.नि./2011/44182-95दिनांक 31.01.2018


(राजीव गर्ग)

उपनिदेशक उद्योग
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-उद्योग/यू0ओ0नोट/2017/14201

दिनांक:- 7/6/18

प्रभारी
तकनीकी सैल
(कम्प्यूटर लैब)
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक 5/9/11

आक. क्र. 1(ग)/(13)गृह-2/2003

अधिसूचना

महानिरीक्षक

राजस्थान बन्दी कल्याण कोष नियम 1964 के नियम 5 के अन्तर्गत विभिन्न व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

कार्यालय अधीक्षक

दिनांक 16 SEP 2011

क्र.सं.	नियम का विवरण	वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण		
		अति. महानिदेशक कारागार/ महानिरीक्षक कारागार	उप महानिरीक्षक कारागार	अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला कारागृह
1.	5(एफ) कारागार विभाग द्वारा संचालित उद्योगशालाओं के संचालन हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी का भुगतान करने हेतु	पूर्ण शक्तियां	5 लाख रु प्रतिवर्ष एक बार में अधिकतम 50,000 /--	सामग्री क्रय हेतु 1 लाख रु (अधिकतम एक अवसर पर रु 30,000 /--) एवं मजदूरी भुगतान के लिए पूर्ण शक्तियां
2.	5(जी) उद्योगशालाओं में स्थापित मशीनों से संबंधित मरम्मत पर होने वाला व्यय	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	अधिकतम रु 10,000 /-- प्रतिवर्ष
3.	5(एच)- उद्योगशालाओं में तैयार उत्पादों एवं कच्चे माल के आदान प्रदान पर होने वाला परिवहन व्यय	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
4.	5(आई)- उद्योगशालाओं में तैयार उत्पादों के विपणन/ विक्रय हेतु प्रदर्शनियां लगाये जाने पर अथवा अन्य विपणन व्यय	पूर्ण शक्तियां	रु 20,000 /-- प्रतिवर्ष	---
5.	5(जे)- उद्योगशालाओं के लिए आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय	पूर्ण शक्तियां	---	---
6.	उद्योगशालाओं का विद्युत व्ययों का भुगतान	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
7.	अन्य प्रयोजन जो कि नियमान्तर्गत अनुमत हो	पूर्ण शक्तियां	रु 50,000 /-- प्रतिवर्ष	रु 10,000 /-- प्रतिवर्ष एक अवसर में रु 2,000 /-- से अधिक नहीं

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(ज.के. शर्मा)

विशेषाधिकारी, गृह (कारागार)

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राज. जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राज. जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-4) विभाग, राज. जयपुर को आई.डी. संख्या 101102911 दिनांक 25.08.2011 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने का अनुरोध है।